न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर0ए0एस

अपील सं0 12/2016

दिनांक : 18.03.2016

1. मामराज पुत्र खिराज जाति जाट साकिन ढाणी माहेला तह. रावतसर।
2. श्रामप्रताप पुत्र लिछमण जाति जाट साकिन ढाणी माहेला तह. रावतसर।

– अपीलांट

बनाम्

1. प्रताप सिंह
2. विधाधर

} पि0 भूराराम जाति जाट साकिन दुलपुरा पो.आ. भूटा का बास तहसील व जिला झुंझुनू

3. मुं. पतासी पत्नी मंगलराम पुत्री भूराराम जाति जाट निवासी बाडकी तह. जिला चुरू
4. मुं. प्रेमा पत्नी रूपराम पुत्री भूराराम जाति जाट निवासी बाडकी तह.व जिला चुरू।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.08.1968 को निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः– श्री राजपाल झोरड, अधिवक्ता, अपीलांट

श्री विजय सिंह कडवासरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांकः– 02.05.2018**

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैः–

यह कि रेस्पो. नं. 1 ता 4 के पूर्वज भूराराम ने तहसीलदार नोहर के समक्ष स्वयं को ढाणी माहेला का निवासी एवं भूमिहीन होने का कथन करते हुए रोही मौजा माहेला के ख.न. 187 की 75 बीघा भूमि बतौर भूमिहिन आवंटन करने बाबत आवंटन पत्र नियम 8 रा.भू. राजस्व (कृषि उद्देश्य से भूमि आवंटन) नियम 1957 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

तहसीलदार नोहर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.1968 के द्वारा रेस्पो. सं. 1 ता 4 के पिता को आवंटन की दी जो निम्न आधारों पर काबिल खारिज योग्य है :–

1. यह कि अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध व मनमाने रूप से एवं आवंटन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया की बिना पालना किये विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित मनमाने रूप से पारित किया गया होने के कारण खारिज योग्य है। नकल निर्णय दिनांक 18.08.1968 सलंग्न अपील है।
2. यह कि रेस्पो. 1 ता 4 के पूर्वज भूराराम ने तहसीलदार राजस्व नोहर के समक्ष रोही माहेला के ख.न. 187 की 75 बीघा भूमि स्वयं को माहेला का स्थाई निवासी होना एवं भूमिहीन का कथन करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक भूराराम के आवंटन की पात्रता के संबंध में बिना कोई जांच किये अपीलाधीन निर्णय के द्वारा बतौर भूमिहीन आवंटन आदेश पारित कर दिया जबकि मृतक आवंटी भूराराम गांव दुलपुरा तह. व जिला झुझनू का स्थाई निवासी था जबकि आवंटन के समय आवंटी के नाम दुलपुरा की रोही के खसरा नं. 4 की 28 बीघा गावं खोखरी में 84 बीघा व गावं जयपुरिया खालसा के ख.न. 44 में 37.10 बीघा व ख.न. 24 में 24 बीघा भूमि खातेदारी में थी। उक्त माह भूमि को मृतक भूराराम ने छुपाकर स्वयं को भूमिहीन होना बताकर आवंटन करवाया है व तहसीलदार ने भी आवंटन के पूर्व आवंटन आवेदन पत्र पर नियम 10 के तहत कोई जांच नही की व न ही नियम 11 के तहत कोई प्राथमिकता निर्धारित की और न ही नियम 13 के तहत आवंटन कमेटी के समक्ष रखा गया है इस प्रकार अपीलाधीन आदेश आवंटन नियमों की अवहेलना में पारित किया गया होने के कारण खारिज योग्य है।
3. यह कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि रोही मौजा माहेला के ख.न. 187 की 75 बीघा भूमि वर्तमान में ढाणी माहेला के ख.न. 1089 की 27.10 बीघा, 1090 की 2.10 बीघा व 440 में 39 बीघा कुल 69 बीघा भूमि पर पैमूद हुई उक्त भूमि भू–प्रबंध विभाग द्वारा पैमाईश के दौरान जमाबंदी संवत् 2020 से 2038 में कब्जा काश्त के आधार पर अपीलांट सं. 1 मामराज व अपीलांट सं. 2 के पिता लिछमण के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज कर दी गई उक्त भूमि संवत् 2012 में अपीलांट सं. 1 के पिता व अपीलांट सं. 2 के दादा स्व. खिराज की बंजड से नौतौड की हुई थी व पारिवारिक बंटवारा में यह भूमि अपीलांट को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्राप्त हुई है। आवंटी भूराराम का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जाकाशत नही रहा है व आज भी अपीलांट के कब्जा काश्त में है व आवंटी द्वारा आवंटन नियम 14 में निर्धारित नियमों की पालना नही की गई है इसलिए आवंटन नियम स्वतः ही खारिज योग्य है।

4. यह कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि आवंटि भूराराम के नाम दर्ज न होने व कब्जा न होने के कारण आवंटी भूराराम द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर, नोहर में वाद भूराराम बनाम मामराज वाद सं. 160/81 प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि अपीलांट के नाम हटाने व स्वयं को खातेदार घोषित करने बाबत प्रस्तुत किया जो दिनांक 09.07.1982 को डिक्री किया गया व इजराय आदेश की पालना में जरिये इंतकाल संख्या 819 दिनांक 04.06. 1985 को वाद ग्रस्त भूमि अपीलांट के नाम से हटाकर मृतक आवंटी भूराराम के नाम से दर्ज किया गया था जिसमें पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त भूमि का कब्जा मृतक भूराराम का न होने बाबत स्पष्ट नोट अंकित किया है उक्त वाद व इंतकाल से यह तथ्य पुर्णतया साबित है कि आवंटन के पश्चात आवंटी भूराराम व उसके वारिसान कभी भी कब्जाकाश्त नही रहा है। इसलिए आवंटन आदेश खारिज योग्य है।

5. यह कि मृतक भूराराम के पक्ष में पारित किये आवंटन आदेश दिनांक 07.06.1981 के विरूद्ध धारा 11/14 राज.उप.अधि. के तहत शिकायत प्रार्थना पत्र बुधराम बनाम भूराराम प्रकरण सं. 5/85 न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश मुद्रांक हनुमानगढ में प्रस्तुत किया था जिसमें तथ्य छुपाकर आवंटन करवाया जाना मानकर दिनांक 07.06.1984 को आवंटन खारिज कर दिया व दिनांक 09.12.1991 को राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपील भी खारिज कर दी गई दिनांक 02.12.1996 को राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण श्रीमान न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया गया जिसमें दिनांक 21.09.2000 को पुनः आवंटन खारिज किया गया व दिनांक 16.01.2001 को राजस्व अपील अधिकारी द्वारा आवंटन यथावत रखा गया जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी लंबित है उक्त निर्णयों से भी यह तथ्य साबित है कि वादग्रस्त भूमि विधिविरूद्ध आवंटन करवाई गई थी व कभी भी रेस्पो. का कब्जाकाश्त नही रहा है इसलिए आवंटन आदेश खारिज योग्य है।

6. यह कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि संवत 2012 में अपीलांट के पूर्वज खिराज के कब्जा काश्त में थी व उसकी मृत्यु के पश्चात वर्तमान में भी अपीलांट के कब्जा काश्त में है। अपीलांट ने उक्त भूमि का खातेदार घोषित करवाने हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

रावतसर में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था जो रेस्ज्यूडिकेटा के आधार पर 23.03.2005 को खारिज कर दिया गया जिसकी अपील वर्तमान में राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में लंबित है इस प्रकार अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है और बतौर तृतीय पक्षकार अपील प्रस्तुत करके अपीलाधीन आदेश अपास्त करवाने के अधिकारी है।

अतः अपील प्रस्तुत निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.08.1968 को खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपीला मिमो के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट के पिता भूराराम को तहसीलदार नोहर द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से रोही माहेला के गत ख0नं0 187 की 75 बीघा भूमि आवंटन की गई थी। उक्त भूमि वर्तमान ख0नं0 440, 1089, 3090 की 69 बीघा में परिवर्तित हो चुकी है। उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट ने स्वंय को भूमिहीन बताते हुये अपनी खातेदारी भूमि को छिपाकर आवंटन करवाया गया है जबकि आंवटी के नाम से जिला झून्झनू के गांव दूलपूरा जयपुरीया में करीब 172–73 बीघा खातेदारी भूमि थी तथा गांव माहेला का स्थाई निवासी नही था। तहसीलदार ने आवंटन से पूर्व कोई जांच नही की ना ही प्राथमिकता निर्धारित की व आवंटन को आवंटन कमेटी के समक्ष रखकर नही किया है। आवंटित भूमि पर भूराराम का व उसके वारिसो का कभी भी कब्जा नही रहा है। आवंटन से पूर्व ही उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त था। भूराराम के पक्ष में किया गया आवंटन के विरूद्ध प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जो अतिरिक्त जिलाधीश मुंद्राक द्वारा उक्त आवंटन तथ्यो को छिपाकर कराया गया आवंटन मानते हुये निरस्त कर दिया गया। जिसकी अपील भी खारिज कर दी गई व द्वितिय अपील राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई जो रिमाण्ड की गई। रिमाण्ड में भी उक्त आवंटन को पुनः खारिज कर दिया गया व राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने पर निर्णय 21.09.2000 को खारिज कर दिया गया। परन्तु विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा कभी नही रहा व आंवटन के समय भी आंवटित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा था। जब भूमि आवंटन के समय खाली ही नही थी तो आवंटन नियमो के अन्तर्गत भूमि को आवंटन नही किया जा सकता। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा घोषणात्मक वाद भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सहायक कलक्टर रावतसर में प्रस्तुत किया था जो रेसजुडी के आधार पर खारिज किया गया जिसकी अपील विचाराधीन है। इस प्रकार यह स्पष्ट है की तहसीलदार द्वारा किया गया आवंटन नियमो के विपरित है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमावे।

रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी ने आवंटन अधिकारी के समक्ष आवंटन हेतु आवेदन किया था जो स्वीकार कर गत ख0नं0 187 की 72 बीघा ग्राम माहेला की भूमि 18.08.1968 को आवंटन की गई थी उक्त आवंटन नियमो के अन्तर्गत बाद जांच किया गया था व आवंटन के समय विवादित भूमि खाली थी। परन्तु अपीलान्ट के पश्चात् उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया था। इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट ने सहायक कलक्टर नोहर के यहां घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया था जो दिनांक 27.12.82 को डिक्री हुआ। उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की जो खारिज कर निर्णय सहायक कलक्टर नोहर यथावत् रखा। राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील प्रस्तुत करने पर अपील को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयो को यथावत् रखा है। इस निर्णय के विरूद्ध भी माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पीटीशन संख्या 2176/02 किसी बुधराम भोपा व लक्ष्मण पुत्र खिराज के वारिसो द्वारा प्रस्तुत की गई थी जो 20.07.2005 को निर्णित हुई उक्त निर्णय में भी प्रार्थी के आवंटन को सही मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियम के नियम 11/14 में पारित निर्णय को भी गलत माना है व डीबी में स्पेशल अपील प्रस्तुत की गई थी उसको भी खारिज कर दिया गया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट के पक्ष में सभी न्यायालयो से निर्णय पारित होकर आवंटन को सही माना है। अब यह अपील जो प्रस्तुत की गई है व विधि विरूद्ध एवं नियमो के विपरित प्रस्तुत की गई है जो किसी भी तरह से संधारण योग्य नही है। अतः अपील प्राथमिक स्टेज पर ही खारिज योग्य है।

हमने बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि तहसीलदार द्वारा आवंटन की गई थी। आवंटन के समय भूमि खाली होने का कोई साक्ष्य नही है। मुताबिक रिकार्ड विवादित भूमि अराजीराज दर्ज थी। अराजीराज भूमि पर किसी का कब्जा नही माना जा सकता ना ही अतिक्रमी की हैसियत से किये गये कब्जे को माना जा सकता है। वर्तमान में विवादित भूमि के सम्बन्ध में उप तहसीलदार पल्लू से रिपोर्ट मांगी गई मुताबिक रिपोर्ट विवादित भूमि पर अपीलान्ट का 35–40 साल से अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा बताया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

है। विवादित भूमि का आवंटन 1968 का बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि आवंटन 50 वर्ष पूर्व हुआ था तथा विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य विभिन्न न्यायालयो में विवाद रहा है, परन्तु अन्तिम निर्णय माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत डीबी स्पेशल अपील के निर्णय दिनांक 17.07.13 अनुसार आवंटन को सही मानते हुये आंवटी के पक्ष में निर्णय हुआ है। अब यहां यह अपील किसी भी नियमो के अन्तर्गत संधारण योग्य नही है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रति के लौटाया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 02.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर